छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512123, Email Id:-ceocghb@yahoo.com, Website:-www.cghb.gov.in

क्रमांक 1558 / सं.प्र.शा. / मु.सं.अ. / मुख्या / एफ–03 / 21 नवा रायपुर, दिनॉक 16/09/2021

प्रति,

1. **संपदा अधिकारी,**
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–01,02,03,04 रायपुर /
राज.परि.प्रक्षेत्र–मौलश्री विहार रायपुर / दुर्ग /
बिलासपुर / जगदलपुर / कोरबा / कोण्डागांव / राजनांदगांव /
धमतरी / महासमुन्द / कवर्धा / अंबिकापुर / रायगढ़ / कोरिया

2. **कार्यपालन अभियंता,**
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–01,02,03,04 रायपुर /
राज.परि.संभाग–01 नवा रायपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / कवर्धा / बिलासपुर /
रायगढ़ / कोरबा / अंबिकापुर / कोण्डागांव / जगदलपुर / धमतरी / महासमुन्द

विषयः–मण्डल की समस्त निर्मित / निर्माणाधीन आवासीय योजनाओं में मण्डल अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा भवन कय किए जाने के संबंध में।

---000---

विषययांतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मण्डल द्वारा निर्माण कार्य किया गया एवं किया जा रहा है। वर्तमान में मण्डल के विभिन्न योजनांतर्गत रिक्त भवनों का पंजीयन / आबंटन पूर्ण रुप से ऑनलाईन किया जा रहा है। मण्डल के अधिकारी / कर्मचारी द्वारा रिक्त भवनों के ऑनलाईन पंजीयन / आबंटन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया प्रस्तावित है :–

- मण्डल के ऑफर / एकमुश्त / भाड़ाक्रय आधार पर रिक्त भवनों के पंजीयन में मण्डल के अधिकारी / कर्मचारी को प्राथमिकता दी जावेंगी।
- योजना में मण्डल के अधिकारी / कर्मचारी द्वारा भवन पंजीयन करने हेतु अपने CPF/GPF से राशि का आहरण कर पंजीयन राशि जमा करना चाहते है, तो संबंधित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा इच्छुक भवन हेतु ऑनलाईन पंजीयन के पूर्व मण्डल मुख्यालय के लेखा शाखा को अपने CPF/GPF से राशि का आहरण हेतु आवेदन प्रेषित करना होगा।
- रिक्त भवन के लिए ऑनलाईन पंजीयन करते समय मण्डल के अधिकारी / कर्मचारी को CPF/GPF राशि आहरण का आवेदन दिनांक पंजीयन फार्म में दर्शाना अनिवार्य होगा।
- अधिकारी / कर्मचारी द्वारा चयनित भवन को ऑनलाईन पंजीयन पश्चात् 15 दिवस के लिए होल्ड में रखा जावेगा।

क्रमशः–02

- आवेदन करने क तिथि से 15 दिवस के पश्चात् चयनित भवन हेतु पंजीयन राशि जमा नही किया जाता है, तो चयनित किए गए भवन को होल्ड से मुक्त कर दिया जावेगा, जिससे जन–सामान्य द्वारा भवन को ऑनलाईन आवेदन कर कय कर सकेगें।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को संपत्ति क्रय करने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

16/9/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र.1559/सं.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या./एफ–03/21 नवा रायपुर, दिनॉक 16/9/2021

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
5. एन.आई.सी. प्रभारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/9/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)